EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA :

PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 452—456

Dated 17-5-2008

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 7 मई, 2008

सा.का.नि. 97.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, विदेश व्यापार महानिदेशालय में कॉनसोल आपरेटर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विदेश व्यापार महानिदेशालय कॉनसोल आपरेटर भर्ती नियम, 2008 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3164 CGI/08-1

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कॉनसोल आपरेटर	विदेश व्यापार महानिदेशालय, नई दिल्ली (मुख्यालय) 4 मुंबई मण्डल 2 चेन्नई मण्डल 2 कोलकाता मण्डल 2 सी.एल.ए. (नई दिल्ली) मंडल 2 कुल 12* (2008) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय ।	5500–175–9000 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति /आमेलन

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)	(14)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन : केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में 5000-8000 रु. के या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 4000-6000 रु. के वेतनमान में नियतिम आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :- अनिवार्य अर्हताएं : (i) (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी या गणित या क्रियाविधि अनुसंधान या भौतिक शास्त्र या अर्थशास्त्र या वाणिज्य (सांख्यिकी सहित) में स्नातकोत्तर उपाधि या इंजीनियरी या कम्प्यूटर विज्ञान में उपाधि या समतुल्य; या (ii) (ख) एक विषय के रूप में सांख्यिकी सहित स्नातक उपाधि; और इलैक्ट्रानिक आंकड़ा प्रसंस्करण कार्य में दो वर्ष का अनुभव रखना, जिसके अंतर्गत कम्प्यूटर कार्यक्रम करने या प्रचालन में एक वर्ष का अनुभव सम्मिलित है । वांछनीय : (i) कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग प्रचालन में औपचारिक प्रशिक्षण; (ii) एक या अधिक प्रोग्रामिंग भाषाओं की जानकारी; (iii) यांत्रिकी सारणीकरण यंत्र का प्रचालन करने और ऐसे यंत्र पर पर्यवेक्षण कार्य करने और योजना बानाने का अनुभव हो । (प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति/आमेलन पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी) ।	लागू नहीं होता	जब कोई अधिकारी आमेलन के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के क्षेत्र में होता है, तब संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं. ए-12018/1/2007/स्था.-III]

राम लखन, अवर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

New Delhi, the 7th May, 2008

G.S.R. 97.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Console Operator in the Directorate General of Foreign Trade, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce, namely :—

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Directorate General of Foreign Trade, Console Operator, Recruitment Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, its classification and scale of pay.**—The number of post, its classification and the sacle of pay attached tereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, educational qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and after consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class of category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post		Classification	Scale of pay	Whether Selection Post or Non-Selection Post
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
Console Operator	DGFT, New Delhi (HQ) Mumbai Zone Chennai Zone Kolkata Zone CLA (New Delhi) Zone **Total** *Subject to variation dependent on work load within the zone	4 2 2 2 2 *12	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial (2008)	Rs. 5500-175-9000	Not applicable

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)	(8)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	Deputation/Absorption.

In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption grades from which promotion/deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)	(14)
Deputation/Absorption : Officer under the Central Government : (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; Or (ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 5000-8000 or equivalent in the parent cadre or Department; Or (iii) with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 4000-6000 and (b) possessing the following educational qualifications and expericence : **Essential Qualifications:** (I) (a) Masters' Degree in Statistics or Mathematics or Operations Research or Physics or Economics or Commerce (with Statistics) or Degree in Engineering or Computer Science, from a recognized University or equivalent; Or (II) (b) Bachelors Degree with Statistics as one of the subjects; and Possessing two years' experience in electronics data processing work including one year experience in computer programming or operation. **Desirable :** (i) Formal training in computer programming operation; (ii) Knowledge of one or more of the programming languages; (iii) Experience of operating mechanical tabulation equipment and of planning and supervising work on such equipment. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization or Department of the Central Govt. shall ordinarily not to exceed three years). The Maximum age limit for appointment by deputation/ absorption shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission necessary when an officer is in the field of consideration for appointment on absorption basis.

[F. No.A. 12018/1/2007/E. III]

RAM LAKHAN, Under Secy.

MGIPRRND—3164 C&I/08—100